भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3099

दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

.....

सीतापुर सहित पूर्वांचल क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन

3099. श्री राकेश राठौरः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न राज्यों, विशेषकर पूर्वांचल क्षेत्र में हर साल बाढ़ से होने वाली जान-माल की भारी हानि को देखते हुए कोई दीर्घकालिक निवारण योजना तैयार करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों, विशेषकर सीतापुर जिले की बिसवां, लहरपुर और महमूदाबाद तहसीलों में, जहां सर्वेक्षण के बाद बांध निर्माण का प्रस्ताव है, कोई स्थायी बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम मौजूद है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का नेपाल की सुहानी और महोना नदियों से अनियंत्रित जल प्रवाह को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित करने या बांध निर्माण करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का प्रभावित किसानों को फसल हानि के लिए मुआवजा देने और भविष्य में इस संबंध में मुआवजे की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी योजनाएँ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार, राज्यों को तकनीकी मार्गदर्शन और संकटग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को संपूरित करती है।

एकीकृत बाढ़ रणनीति का उद्देश्य किफायती लागत पर बाढ़ से होने वाले नुकसान से उचित स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों का विवेकपूर्ण मिश्रण अपनाना है।

केंद्र सरकार बाढ़ नियंत्रण, भू-कटाव रोकथाम, जल निकासी का विकास, समुद्री कटाव रोकथाम आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु "बाढ़ प्रबंधन और सीमा

क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" लागू कर रही है। एफएमबीएपी योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक कुल 8737.65 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की जा चुकी है। पूर्वांचल क्षेत्र में एफएमबीएपी के अंतर्गत 377 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से अनुमानित 503 करोड़ रुपए की लागत वाली बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न नदियों के किनारों पर कुल 3869 किलोमीटर लंबाई के 523 तटबंधों का निर्माण किया गया है।

बाढ़ प्रबंधन के एक गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) चिन्हित स्थानों पर संबंधित राज्य सरकारों को 24 घंटे पहले तक के अल्पकालिक बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है। सीडब्ल्यूसी उचित जलाशय विनियमन के लिए चिन्हित जलाशयों में जल प्रवाह पूर्वानुमान भी जारी करता है। वर्तमान में, मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, सीडब्ल्यूसी द्वारा 350 स्टेशनों (150 अंतर्वाह पूर्वानुमान स्टेशन + 200 जल स्तर पूर्वानुमान स्टेशन) पर बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं। यह नेटवर्क राज्य सरकार/परियोजना प्राधिकरणों के परामर्श से स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में सीडब्ल्यूसी 52 जलवैज्ञानिक अवलोकन केंद्र (सीतापुर जिले में 2 केंद्रों सहित) संचालित करता है, जहां से जलवैज्ञानिक अवलोकन डेटा एकत्र किया जाता है। सीडब्ल्यूसी पूर्वांचल (उत्तर प्रदेश) में 15 बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र भी संचालित करता है। इन 15 पूर्वानुमान केंद्रों में से 14 गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में जलस्तर पूर्वानुमान केंद्र हैं और 01 अंतर्वाह पूर्वानुमान केंद्र है। स्थानीय अधिकारियों को लोगों की निकासी की योजना बनाने और अन्य उपचारात्मक उपाय करने के लिए अधिक समय देने हेतु, सीडब्ल्यूसी ने सभी पूर्वानुमान केंद्रों के लिए 07 दिन पहले बाढ़ पूर्वानुमान सलाह जारी करने हेतु वर्षा-अपवाह गणितीय मॉडलिंग पर आधारित बेसिन-वार बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया है।

जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यों को देश में बाढ़ प्रबंधन के एक प्रभावी गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में बाढ़ के मैदानों के लिए ज़ोनिंग पद्धति अपनाने की आवश्यकता पर लगातार बल दिया है। राज्यों को बाढ़ के मैदानों का वैज्ञानिक मूल्यांकन और ज़ोनिंग करने में सक्षम बनाने के लिए, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बाढ़ के मैदानों के लिए ज़ोनिंग पर एक तकनीकी दिशानिर्देश तैयार किया गया है और अगस्त 2025 में कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित किया गया है।

(घ): सुहेली और मोहना नदियाँ नेपाल से निकलकर उत्तर प्रदेश में बहती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, फिलहाल इन नदियों पर बांध बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने 11 जुलाई, 2023 को जारी अपने दिशानिर्देशों के माध्यम से प्रभावित किसानों को फसल क्षति के लिए सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है। दिशानिर्देशों का प्रासंगिक अंश अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

'सीतापुर सहित पूर्वांचल क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन' के संबंध में दिनांक 18.12.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न सं. 3099 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

5	कृषि	
(i)	2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले लघु एवं सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करना।	
(क)	भूमि और अन्य नुकसान के लिए सहायता	
	(क) कृषि भूमि की गाद निकालना (जहां रेत/गाद की परत की मोटाई 3 इंच से अधिक हो, जिसे राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।)	प्रत्येक मद के लिए 18,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर। उपरोक्त सहायता प्रति किसान कम से कम 2,200/- रुपए की न्यूनतम सहायता के अधीन है। (यह शर्त लागू होती है कि लाभार्थी ने किसी अन्य सरकारी योजना के तहत कोई अन्य सहायता/सब्सिडी प्राप्त नहीं की हो या उसके लिए पात्र न हो)।
	ख) पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि भूमि से मलबा हटाना	
	ग) मछली पालन केंद्रों की गाद निकालना/पुनरूद्धार/मरम्मत करना	
	घ) भूस्खलन, हिमस्खलन, नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण भूमि के पर्याप्त हिस्से का नुकसान।	केवल उन्हीं लघु एवं सीमांत किसानों को 47,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि दी जाएगी जिनकी भूमि का स्वामित्व राजस्व अभिलेखों के अनुसार वैध है। उपरोक्त सहायता राशि प्रति किसान कम से कम 5,000 रुपए की न्यूनतम सहायता राशि के अधीन है।
(ख)	इनपुट सब्सिडी (जहां फसल का नुकसान 33% या उससे अधिक हो)	

	क) कृषि फसलों, बागवानी फसलों और वार्षिक बागान फसलों के लिए	वर्षा आधारित क्षेत्रों में 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर। उपरोक्त सहायता राशि प्रति किसान कम से कम 1,000 रुपए की न्यूनतम सहायता राशि के अधीन है और केवल बोए गए क्षेत्रों तक सीमित है। सुनिश्चित सिंचित क्षेत्रों में 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। उपरोक्त सहायता राशि प्रति किसान कम से कम 2,000 रुपए की न्यूनतम सहायता राशि के अधीन है और केवल बोए गए क्षेत्रों तक सीमित है।
	ख) बारहमासी फसलें/कृषि वानिकी (स्वयं की कृषि भूमि में वृक्षारोपण)	सभी प्रकार की बारहमासी फसलों/कृषि वानिकी (स्वयं की कृषि भूमि में वृक्षारोपण) के लिए 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर, बशर्ते प्रति किसान कम से कम 2,500 रुपए की न्यूनतम सहायता राशि उपलब्ध हो और यह बोए गए क्षेत्रों तक ही सीमित हो।
	ग) रेशम उत्पादन	एरी, शहतूत और तसर के लिए 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। मूगा के लिए 7,500 रुपए प्रति हेक्टेयर। उपरोक्त सहायता राशि प्रति किसान कम से कम 1000 रुपए की होनी चाहिए और यह केवल बोए गए क्षेत्रों तक ही सीमित है।
(ii)	2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को इनपुट सब्सिडी।	वर्षा आधारित क्षेत्रों में 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर, केवल बोए गए क्षेत्रों तक सीमित। सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, केवल बोए गए क्षेत्रों तक सीमित। कृषि वानिकी (स्वयं की भूमि में वृक्षारोपण) सहित सभी प्रकार की बारहमासी फसलों/वृक्षों के लिए 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर, केवल बोए गए क्षेत्रों तक सीमित। जहां फसल की हानि 33% या उससे अधिक होने पर सहायता प्रदान की जा सकती है, प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर तक सीमित।
